न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता, बसिया (गुमला)।

अनुमति वाद संख्या 100/2021–22

<table>
<tr><th>आदेश की क्र0सं0 एवं तिथि</th><th>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</th><th>आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>1
19/4/22</td><td>

आवेदक गंदुरा सिंह, पिता – स्व0 प्रशान्त सिंह उर्फ ढुटु सिंह, जाति भोगता, ग्राम कलिगा, थाना बसिया, जिला– गुमला (झारखण्ड) ने निम्नाकिंत विवरणी की भूमि बिक्री करने हेतु अनुमति के निमित छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)B के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र समर्पित किया है। उक्त आवेदन के आधार पर अनुमिति वाद प्रारम्भ किया गया।

भूमि का विवरणी

राजस्व ग्राम	थाना संख्या	संख्या खाता	प्लॉट संख्या	रकबा (एकड़)	किस्म जमीन
कलिगा	141	19	966	0.20 एकड़	दोन

कुल 0.20 (बीस डिसमील)

चौहदी प्लॉट सं0 966 :– उत्तर में – जयधर का खेत ।
दक्षिण में – हिलारूस का खेत।
पूरब में – नीज।
पश्चिम में – दयबल साव का खेत।

जमीन विक्रेता की विवरणी

आवेदक – गंदुरा सिंह, पिता – स्व0 प्रशान्त सिंह उर्फ ढुटु सिंह, जाति भोगता, ग्राम कलिगा, थाना बसिया, जिला– गुमला

जमीन क्रेता की विवरणी

क्रेता – मंजु कुमारी, पति श्री उपेन्द्र कुमार, जाति दुसाध, ग्राम कलिगा, पोस्ट कोनबीर, थाना – बसिया, जिला– गुमला।

उक्त भूमि को आवेदक द्वारा प्रस्तावित **क्रेता** मंजु कुमारी, पति श्री उपेन्द्र कुमार, जाति दुसाध, ग्राम कलिगा, पोस्ट कोनबीर, थाना – बसिया जिला– गुमला को आवेदक अपना मकान बनाने/इलाज हेतु/हल बैल खरीदगी हेतु

</td><td></td></tr>
</table>

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

रूपये 1,50,000 (एक लाख पचास हजार) रू0 की आवश्यकता पड़ने पर भूमि की बिक्री कर रहे है। अंचलाधिकारी, बसिया को आवेदन भेजते हुए जॉच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं आम ईश्तेहार निर्गत किया गया। अंचलाधिकारी, बसिया के कार्यालय के पत्रांकः– 145(ii) दिनांकः– 18/04/2022 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसके द्वारा आवेदक को जमीन बिक्री करने के लिए अनुमति प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई है। निर्धारित तिथि तक किसी प्रकार का कोई आपत्ति दर्ज नहीं हुआ है। आवेदित भूमि पर आवेदक का शांतिपूर्वक दखल कब्जा है। उक्त भूमि की बिक्री के बाद भी आवेदक के पास पर्याप्त भूमि शेष बचता है। आवेदक का वक्तव्य उनके विज्ञ अधिवक्ता के पहचान पर अभिलिखित किया गया। आवेदक ने अपने वक्तव्य में कहा है कि वह भूमि उनकी खतियानी जमीन है एवं दखल हिस्से की है। आवेदित भूमि विवाद रहित है। साथ ही गैरमजरूआ आम/खास भूमि बन्दोबस्ती, भू–हदबन्दी भूदान, वनसीमा एवं भू–अर्जन इत्यादि से मुक्त है। दोनो पक्ष अनुसूचित जाति समुदाय के अन्तर्गत भोगता एवं दुसाध जाति के सदस्य है, दोनो एक ही थाना एवं जिला के निवासी है।

अतः अंचल अधिकारी, बसिया के जॉच प्रतिवेदन में निहित अनुशंसा के आधार पर उपरोक्त विवरण की भूमि को आवेदक – गंदुरा सिंह, पिता – स्व0 प्रशान्त सिंह उर्फ ढुटु सिंह, जाति भोगता, ग्राम कलिगा, थाना बसिया, जिला– गुमला को उपरोक्त वर्णित राशि अथवा जिला निबंधन कार्यालय, गुमला के मार्गदर्शिका में अंकित बाजार मूल्य दोनो में जो अधिक हो पर बिक्री करने हेतु विपक्षी के साथ छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(i)B के अन्तर्गत एतत् द्वारा .... प्रदान की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उप –समाहर्त्ता
बसिया (गुमला)

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता बसिया, (गुमला)

Digitally signed by SHEKHAR KUMAR
Date: 2024.07.16 14:14:22 +05:30
Location: 192.168.1.10